

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा
2017-18

पंजीकृत कार्यालय: जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओडिशा, 768020

विषय सूची

क्रमांक	पृष्ठ संख्या
1. कंपनी की जानकारी	1
2. निदेशक मंडल	2
3. वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	3
4. निदेशकों के प्रतिवेदन	4
5. लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन	14
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	22
7. 31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन पत्र	23
8. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण	25
9. तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची और लाभ-हानि का विवरण	27
10. नगद प्रवाह विवरण	104

कंपनी की जानकारी

वर्ष 2017 - 18 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष

श्री जे.पी. सिंह	(31.08.2015 से प्रभावी)
श्री के. के. परिडा	(तक प्रभावी)
ए.के.गुप्ता	(31.08.2015 से प्रभावी)
श्री एल.एन.मिश्रा	(06.06.2016 से प्रभावी)
श्री एम.एस.माथुर	(तक प्रभावी)
श्री एस.के.मोहंती	(01.06.2016 से प्रभावी)
श्री एस.एल.गुप्ता	(25.08.2016 से प्रभावी)
श्री के.आर.वासुदेवन	(12.02.2018 से प्रभावी)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री के.वी.वी.राजू	(03.07.2017 से प्रभावी)
--------------------	-------------------------

सांविधिक लेखापरीक्षक

बैंकर्स

बिजय धनिराम एंड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंट मारवाड़ी पाड़ा, धोबीगली, संबलपुर - 768001, ओडिशा	भारतीय स्टेट बैंक, एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020
--	--

पंजीकृत कार्यालय

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओडिशा- 768020

08.07.2018 के अनुसार निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री जे.पी. सिंह

(31.08.2015 से प्रभावी)

श्री एल.एन. मिश्रा

(06.06.2016 से प्रभावी)

श्री डी. सभलोक

(01.05.2017 से प्रभावी)

श्री एस.एल. गुप्ता

(25.08.2016 से प्रभावी)

श्री एस. के. मोहंती

(01.06.2016 से प्रभावी)

श्री ए.नरेंद्र

(02.08.2017 से प्रभावी)

श्री के.आर.वासुदेवन

(12.02.2018 से प्रभावी)

तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न व्यवसाय के लेनदेन के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020 में दिनांक 08 जुलाई, 2018 रविवार को सुबह 10:30 बजे आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यवसाय:

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च, 2018 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि का विवरण, निदेशक मण्डल, वैधानिक परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के रिपोर्ट को स्वीकार व पालन करने हेतु शामिल किया गया है।
2. श्री एस एल गुप्ता, निदेशक (डीआईएन - 075 9 8 9 20) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने के लिए जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में घूर्णन से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।
3. श्री एस के मोहंती, निदेशक (डीआईएन-06853652) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने के लिए जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में घूर्णन से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(5) के साथ धारा-142 को भी पढ़ा जाये, जो कि कंपनी के वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संवैधानिक लेखा परीक्षकों के नियत पारिश्रमिक को तय करने के लिए तथा संशोधन अथवा बिना संशोधन (एस) के निम्न संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करती है।

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धारा 139(5) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करने हेतु एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है।”

निर्देशक मण्डल के आदेशानुसार
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के लिए

(जे. पी. सिंह)

अध्यक्ष

डीआईएन :- 06620453

स्थान: सम्बलपुर

दिनांक: 22.06.2018

निदेशक प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल की ओर से यह मेरे लिये सौभाग्य की बात है कि वर्ष 2017-18 के लिए आपकी कंपनी के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन के साथ समेकित वित्तीय लेखा प्रतिवेदन, सांविधिक लेखा परीक्षक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्रस्तुत कर रहा हूं।

1. **एम.सी.आर.एल. की परियोजना का संक्षिप्त विवरण** - दिनांक 11.09.2015 को आयोजित पहली निदेशक मण्डल की बैठक के दौरान एम.सी.आर.एल. ने अंगुल-बलराम-जरापाडा और एक लाइन तेंदुलोई (68 किमी) खंड की पहचान अपनी पहली परियोजना के रूप में की है। इस परियोजना में मुख्य रूप से 3 लाइन जिनमें अंगुल-बलराम, बलराम-पुटागाडिया और जरापाडा-पुटागाडिया-तेंदुलोई शामिल हैं। गलियारे के अंगुल-बलराम लाइन के लिए भूमि एमसीएल द्वारा पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। रेलवे और एम.सी.आर.एल. के बीच कंसेशन(रियायत) समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद बलराम-पुटागरिया और जरापाडा-पुटागाडिया-तेंदुलोई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहित की जानी है।

2.कार्य निष्पादन की मुख्य बातें

क. एमसीआरएल कार्यालय की स्थापना :-

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ने कोयले की निकासी हेतु ओडिशा राज्य के तालचेर क्षेत्र में रेल गलियारे के विकास के लिए प्लॉट नं - A/32, खारवेल नगर, सचिवालय मार्ग भुवनेश्वर में 11 मंजिला ओएसएचवी बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर अपने कार्यालय की स्थापना की है। कार्यालय ओएसएचवी बिल्डिंग में दिनांक 01.02.2017 से कार्यरत है।

ख. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.):

दिनांक 27.10.2017 को अंगुल-बलराम-पुटागाडिया-जरापाडा के डीपीआर और तेंदुलोई (लगभग 68 किलोमीटर) तक एक लाइन को रेलवे बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। दिनांक 31.01.2018 को पूर्व तट रेलवे द्वारा डी.पी.आर. को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। 60% की बढ़ी हुई माइलेज की स्वीकृति तथा रेलवे परियोजना के लिए सी.ओ.एम., ईस्ट कोस्ट रेलवे ने दिनांक 29.01.2018 को रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। रेलवे से मंजूरी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। निर्माण के दौरान मुद्रास्फीति, परियोजना प्रबंधन और ब्याज सहित परियोजना की कुल लागत 1700 करोड़ रुपये है।

ग) स्टैकहोल्डर के साथ बैठक :

दिनांक 08.11.2016 को ओ-डी यातायात अध्ययन में शामिल खनन योजना एवं यातायात के संबंध में भावी स्टैकहोल्डर अर्थात एनटीपीसी, नालको, एससीसीएल एवं ओएमसी के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

घ) भूमि :

व्यापक गलियारे के लिए रेलवे, सड़क और पानी की पाइप को समायोजित करने हेतु आईडीसीओ ने मैसर्स ब्राह्मनी रेलवे लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। मैसर्स ब्राह्मनी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की भूमि आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ओडिशा सरकार ने मई, 2015 को 6(1) अधिसूचना प्रकाशित की।

दिनांक-21.03.16 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भूमि की चौड़ाई को कम कर केवल रेल लाइन एवं इसके रख-रखाव, सड़क के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समायोजित किया जायेगा। तदनुसार नवीनतापूर्वक सर्वेक्षण किया गया एवं निर्धारित भूमि को संशोधित किया गया।

एम.सी.आर.एल. गलियारे का पूरा एलाइनमेंट मई, 2015 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिसूचना 6(1) दी गई है, के रूप में मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड / आईडीसीओ की अधिसूचित भूमि सीमा के भीतर सामरिक महत्व के रूप में रखा गया। दिनांक 22.12.2017 को एमसीआरएल के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि आईडीसीओ के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी रखना है या रेलवे अधिनियम के माध्यम से भूमि अधिग्रहण फिर से लेना है, चूंकि आईडीसीओ के माध्यम से अधिग्रहण में प्रक्रियात्मक बाधाएं शामिल हैं जिसमें राज्य सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। राज्य सरकार को दिनांक 20.02.2018 को अनुस्मारक पत्र भी लिखा गया है। मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार ने एमसीआरएल के भूमि मुद्दे पर चर्चा के लिए 24.04.2018 को एक बैठक आयोजित की गई। यह उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकार के निर्णय को यथासंभव जल्द ही सूचित किया जाएगा।

इ) स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति:

वर्ष 2014 में रेलवे के अनुच्छेद-20 के अंतर्गत संयुक्त उद्यम मॉडल में हुए समझौते के तहत यह अनिवार्य किया गया कि कंसेसियनर अर्थात एमसीआरएल द्वारा आंचलिक रेलवे के अनुमोदित सूची में से एक स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की जाएगी, जो इरकॉन द्वारा प्रस्तुत डिजाइन एवं ड्राइंग की जाँच करेगा, जिसे ईस्ट कोस्ट रेलवे की अनुमोदित सूची से उपरोक्त परियोजना को प्रवर्तन में लाने हेतु स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त भी किया जा सकेगा। स्वतंत्र अभियंता के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है।

च) ऋण के लिए बैंक के साथ संबंध स्थापित करना:

वित्तीय अध्ययन के अनुसार अनगुल-बलराम-पुटगाड़िया-टेंटुलोई-जरापाड़ा रेल गलियारे के विकास हेतु कुल खर्च आईएनआर 1700 करोड़ रुपए होंगी। प्रमोटर से 30% इक्विटी लेने के पश्चात्, वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में लगभग 1190 करोड़ रुपए लेने की आवश्यकता होगी। वित्तीय सलाहकार संलग्न करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की गई।

छ) अनगुल-बलराम खंड का निर्माण :

निदेशक मंडल के 6वीं बैठक के दौरान यह चर्चा की गई थी कि वित्तीय समापन के बावजूद भी अनगुल-बलराम के बीच कार्य किया जाएगा। परियोजना के इस हिस्से के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था एमसीएल द्वारा ऋण के रूप में की जाएगी। तदनुसार मैसर्स इरकॉन(IRCON) ने निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की। हालांकि डीपीआर के अनुमोदन में विलंब के कारण निविदा रद्द कर दी गई थी।

पुनः 15.02.2018 को टू पैकेट सिस्टम के तहत इरकॉन(IRCON) द्वारा सिविल कार्य (रेल और अन्य विविध कार्य की खरीदी को छोड़कर) के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा की तकनीकी बोली दिनांक- 26.03.2018 को खोली जाएगी। वित्तीय बोली जल्द ही खोली जाएगी और संभावना है कि निविदा को मई, 2018 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

एमसीआरएल ने एमसीएल से उपरोक्त सेक्शन के निर्माण के लिए 145 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था करने का अनुरोध किया तथा प्राधिकृत पूंजी के लिए 510 करोड़ रु. और चुकता पूंजी के लिए 300 करोड़ की राशि बढ़ाने हेतु सहमति मांगी। हालांकि, स्टैकहोल्डर, जैसे- इरकॉन और इडको से सहमति अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

ज) बाहरी गलियारे का सर्वेक्षण :

दिनांक 11.09.2015 को एमसीआरएल के प्रथम निदेशक मंडल की बैठक में, 'आउटर कॉरिडॉर' के रूप में नामित अन्य गलियारे जैसे - टेंटुलोई-बुधपंक वाया तालबीरा, चन्द्रबिला, साखिगोपाल, को लगभग 106 किलोमीटर को कंपनी द्वारा चिन्हित किया गया। अंगुल बलराम -पुटागाडिया-टेंटुलोई-जारापाड़ा रेल गलियारे की शुरुआत के पश्चात तथा परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार करते हुए इस गलियारे की प्रारम्भिक शुरुआत करने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

झ) टेंटुलोई से ओ.एम.सी खान का संयोजन:

ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव ने मैसर्स ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के खनन योजना की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया कि टेंटुलोई से वैतरणी (पश्चिम) का संयोजन रेल द्वारा किया जायेगा। बैठक का कार्यवृत्त एवं एमडी/ओएमसी के अनुवर्ती पत्र के द्वारा एमसीएल मुख्यालय को दिनांक-02.03.17 को सूचित किया गया कि भविष्य में यह कार्य एमसीआरएल के पश्चिम गलियारे का हिस्सा होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए आईआरसीओएन का सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट/डीपीआर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

2. संगठन

ओडिशा राज्य के रेल गलियारे के वाहनों को खास प्रयोजन(एस.पी.वी.) के अनुकूल बनाये जाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड और ओडिशा औद्योगिक विकास संरचना निगम(इडको) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, इस तरह महानदी कोल रेलवे लिमिटेड(एमसीआरएल) को 31 अगस्त, 2015 से एक पृथक कंपनी के रूप में 64:26:10 के सहभागिता अनुपात में शामिल किया गया। इस जोखिमपूर्ण कार्य को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया गया। रेलवे की ओर से इसे तकनीकी सहायता और एमसीएल की ओर से व्यावसायिक समर्थन मिला, जिससे कोयला खदाने तार्किक चुनौतियों का सामना कर सके। रेल के बुनियादी ढांचे और रेल

गलियारों के बाहर यातायात से उत्पन्न राजस्व के बटवारे में निवेश करके एक सहभागी व्यापार मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखने पर विचार किया गया है।

समझौता जापान के अनुरूप इडको के इक्विटी शेयर के तहत भूमि का मूल्य 10% या उससे अधिक होने पर ओडिशा सरकार द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि दी गई भूमि का मूल्य ओडिशा सरकार ने 10% से अधिक बढ़ाया हो तो आईडीसीओ और एमसीएल की हिस्सेदारी के प्रतिशत को उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा। यदि ओडिशा सरकार को राज्य सरकार के द्वारा भूमि का स्वामित्व मिला है तो (राजस्व और वनभूमि) के मूल्य के अनुरूप ही समायोजित किया जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन योजना संबंधित विविध प्रस्ताव, क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन की लागत एमसीआरएल द्वारा की जाएगी। रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने और दो चरणों में निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में IRCON के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रारंभिक गतिविधियों को करने की कल्पना की गई है। संपत्ति के रखरखाव, छूट और संचालन के लिए एमसीआरएल रेल मंत्रालय के साथ अलग समझौते में प्रवेश करेगा।

3. पूँजीगत संरचना

वर्ष के दौरान किए गए समीक्षा के अनुसार कंपनी के किसी भी प्राधिकृत, जारी एवं चुकता(पेड-अप) पूँजी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा जिसकी कीमत रु 5.00 .लाख तय है। इक्विटी शेयर धारक स्वरूप के समर्थन वाली कंपनियां निम्नलिखित हैं:

कंपनी का नाम	31.03.2018 के अनुसार शेयरहोल्डिंग पैटर्न	31.03.2017 के शेयर होल्डिंग पैटर्न
1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%	64%
2. आई.आर.सी.ओ.एन. इंटरनेशनल लिमिटेड	26%	26%
3. ओडिशा औद्योगिक संरचना विकास निगम	10%	10%
कुल	100%	100%

4. वित्तीय परिणाम-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं -

विवरण	31.03.2018 (रु.) को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की आय	11,000.00
वर्ष में होने वाले व्यय से अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय को छोड़कर	62,000.00
लाभ या हानि के पूर्व अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	(51,000.00)
घटाव : अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय	0.00
अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय के पश्चात् परंतु कर पूर्व लाभ या हानि	(51,000.00)
घटाव : चालू कर	0.00
कर के पश्चात लाभ या हानि	(51,000.00)

कंपनी निर्माण स्थिति में है और उसे परिचालित करने की गतिविधियों को अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। अतः सभी संबंधित व्यय कंपनी के द्वारा किए जाते हैं जिसे प्रत्यक्ष रूप से परियोजना के वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान पूँजीकृत किए गए हैं तथा अन्य अप्रत्यक्ष व्यय पर "लाभ और हानि" विवरण पर चार्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (धारक कंपनी) से रुपये 22,18,18,000 की असुरक्षित अल्पावधि ऋण ली है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 की शर्तों तथा सुसंगत अधिनियम के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए और लागू होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (इंडियन जी.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक, को यदि प्रारंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो, तो लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा सभी नवीनतम आधार पर जारी किए गए या संशोधित लेखा मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के लेखा परीक्षाओं के वित्तीय परिणाम का खुलासा तिमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता है।

5. लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश को घोषित नहीं किया है।

6. रिजर्व

कंपनी ने रिजर्वों में किसी भी राशि का हस्तांतरण नहीं किया है।

7. सरकारी राजकोष से अंशदान

शून्य

8. अनुषंगी संयुक्त उद्यम कंपनियाँ-

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी कोई आनुषंगी/ संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

9. जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की है।

10. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन और उसके नियंत्रण हेतु अंतर्निहित जोखिम, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपायों के कारण जोखिम प्रभावों को नियमित तौर पर महत्व देता है। प्रबंधन नियमित रूप से सभी महत्वपूर्ण कार्यों पर नजर रखता है।

11. संबंधित पार्टी से लेनदेन

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेंथ आधार और व्यवसाय के ओर्डिनरी कोर्स में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटर्स, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ निर्मित लेन-देन भौतिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं है, जिससे कि कंपनी के हित के साथ कोई संभावित संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

12. ऋण की गारंटी व निवेश का विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) के अनुसार किए गए निवेश का पूर्ण विवरण, दिए गए ऋण या गारंटी प्रदान किए गए सुरक्षा के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, और जिस उद्देश्य के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया जाता है, उसका खुलासा किया गया है।

13. सतर्क तंत्र व /विहसल ब्लोअर नीति

एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी की गतिविधियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता केंद्रीय जाँच ब्यूरो आदि के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली होती हैं।

14. लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखा फर्म को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

मेसर्स विजय धनिराम एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार,
मारवाड़ीपाड़ा, धोबीगली,
संबलपुर- 768001
ओडिशा

15. निदेशक मंडल

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में निदेशक मण्डल के सदस्यों की संख्या 7 (सात) है, जिनमें एमसीएल के अध्यक्ष तथा मनोनीत 2(दो) निदेशक, इरकॉन के मनोनीत 2(दो) निदेशक, इडको के मनोनीत 01 निदेशक तथा रेल मंत्रालय के मनोनीत 01 निदेशक शामिल हैं।

निदेशक मण्डल की संरचना दिनांक 31.03.2018 के अनुसार निम्नवत है

क्र.सं .	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
.1	श्री जे.पी. सिंह	अध्यक्ष	31.08.2015
.2	श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक	12.02.2018
.3	श्री एल.एन मिश्रा	निदेशक	06.06.2016
.4	श्री दीपक सभलोक	निदेशक	01.05.2017
.5	श्री एस.एल गुप्ता	निदेशक	25.08.2016
.6	श्री एस.के. मोहांती	निदेशक	01.06.2016
.7	श्री अभिजीत नरेंद्र	निदेशक	02.08.2017

16. बोर्ड की बैठकें-

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की बैठकें दिनांक 22.05.2017, 21.08.2017, 18.12.2017, -----(10 और 11 वी बैठक) को पाँच बार आयोजित हुई हैं तथा दो बैठकों के बीच अंतराल 120 दिनों से कम है। इस अवधि के दौरान बोर्ड के बैठकों तथा उपस्थित निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है।

निदेशकों के नाम	श्रेणी/ नामांकित	बोर्ड की बैठक	
		कार्यकाल	उपस्थिति
श्री जे. पी. सिंह	अध्यक्ष ,गैर-कार्यकारी (एमसीएल)		
श्री के.के. परिडा	गैर- कार्यकारी (एमसीएल)		
श्री एल.एन मिश्रा	गैर- कार्यकारी (एमसीएल)		
श्री के. आर. वासुदेवन	गैर- कार्यकारी (एमसीएल)		
श्री एम. एस. माथुर	सरकार द्वारा नामित गैर- कार्यकारी (रेल मंत्रालय)		
श्री एस.एल. गुप्ता	गैर- कार्यकारी (इरकॉन)		
श्री दीपक सभलोक	गैर- कार्यकारी (इरकॉन)		
श्री अभिजीत नरेंद्र	रेलवे द्वारा नामित गैर- कार्यकारी		
श्री एस. के. मोहांती	गैर- कार्यकारी (इडको)		

17. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) तथा कंपनी नियमावली 2014, के नियम 8(3) के साथ इसे पढ़ा जाए, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश, विदेशी मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नीत हैं।

18. **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी परिश्रमिक)के नियम 5(2) के साथ पढ़ा जाए जिसमें कर्मचारियों को दिने जाने वाले पारिश्रमिक की जानकारी उपलब्ध हो।**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी परिश्रमिक)के नियम 5(2) के अनुसार उपलब्ध जानकारी के तहत आपके कंपनी पर यह लागू नहीं होती क्योंकि कंपनी के कर्मचारी को आहरण रु 5,00,000/ हर माह या रु 60,00,000 प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं मिलता या आहरण प्रबंधकिय निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक या प्रबंध और स्वयं नियंत्रण या किसी पति/पत्नी के और आश्रित बच्चे, हो तो तभी कंपनी के दो प्रतिशत इक्वटी शेयर मिलती हैं।

19. निदेशकों का दायित्वपूर्ण वक्तव्य-

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के दायित्वपूर्ण वक्तव्यों की पुष्टि -

- 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- निदेशकों ने 31.3.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर खातों को तैयार किया है।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

20. **बैंकर्स का नाम एवं पता:**

क्र.सं.	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर

21. **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी :**

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

22. लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दिए गए पर्यवेक्षण को संबंधित टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, जो स्वतः स्पष्ट है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत जिस पर किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट संलग्नित है।

23. आभार :

आपके निदेशकगण कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा ओडिशा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण जिला प्रशासन तथा उन सभी के प्रति जिन्होंने रेल कोरिडोर के विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समय-समय पर सहायता एवं सहयोग दिया है उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

आपके निदेशकगण सभी अंशधारियों को प्रबंधन का लगातार सहयोग देने तथा विश्वास बनाये रखने हेतु धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देते हैं। आपके निदेशकगण कर्मचारियों एवं उनके संगठनों के सभी स्तरों पर प्रगति प्राप्त करने एवं लक्ष्य के निकट पहुँचने, अथक प्रयास और योगदान के लिए उनकी ऑन-रिकार्ड प्रशंसा करते हैं।

आपके वाणिज्य लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऑडिट बोर्ड-II, कोलकाता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय और कंपनी के रजिस्ट्रार, ओडिशा के कार्यालय के पदेन सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा दर्ज की है।

24. परिशिष्ट

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:

1. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना (अनुलग्नक-I) में दी गई है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक- III) में दी गई है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी (अनुलग्नक- IV) में दी गई है।

तिथि:

स्थान : संबलपुर

हस्ता/

(जे. पी. सिंह)

अध्यक्ष

डीआईएन:- 06620453

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (m) के तहत सूचना जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली,
2014 के नियम 8(3) तथा निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के साथ पढ़ा जाए)

(क) ऊर्जा संरक्षण-

- (i) उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव: शून्य
- (ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए उठाए गए कदम: शून्य
- (iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत व्यय: शून्य

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशन-

- (i) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किये गए प्रयास : शून्य
- (ii) उत्पादन सुधार,लागत में कमी,उत्पादन विकस या आयात विकल्प आदि से प्राप्त लाभ: शून्य
- (iii) आयातित प्रौद्योगिकी (गत तीन वर्षों के दौरान आयातित जिसे वित्तीय वर्ष के शुरू से माना गया) के मामले में: शून्य
- (iv) अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय: शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा विनिमय आय एवं व्यय-

कंपनी का गठन 31 अगस्त, 2015 को हुआ है एवं इस तरह कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं हुई है।
विदेशी विनिमय के तहत आय तथा व्यय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं की गई है।

(लाख रुपये में)

विवरण	2017-2018
कुल प्राप्त विदेशी मुद्रा(निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य)	-
प्रयुक्त कुल विदेशी मुद्रा :	
i) कच्चा माल	-
ii) उपयोग योग्य भंडार	-
iii) पूँजीगत सामग्री	-
iv) विदेश यात्रा	-
v) अन्य	-

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्यगण, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी:

हमने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखा परीक्षा की है। (तत्पश्चात भारतीय लेखांकन मानक को वित्तीय विवरण के रूप में माना गया)।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम 2013 ("दी एक्ट") की धारा 134(5) से संबंधित मामलों के निपटान हेतु कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे। इन विवरणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (एकाउंट्स) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होनेवाले मिथ्याकथन से मुक्त हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय विवरण प्राप्त हुए उसमें किसी मिथ्याकथन के न होने के प्रति हम आश्वस्त हैं।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों का प्रकटन और राशि के लेखा परीक्षा साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। लेखापरीक्षक के निर्णयानुसार चयनित प्रक्रिया में वित्तीय विवरणियों

के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों के मूल्यांकन जो कि धोखे अथवा चूक से हो को शामिल किया गया है।

इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु, पर्याप्त और उपयुक्त है।

मत:

हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में हमें दी गई स्पष्टीकरण अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है, वित्तीय विवरण की सूचना दी गई है। भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के समरूप कंपनी के मामले में 31/03/2018 की स्थिति के अनुसार तथा उसी तारीख को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए नगद प्रवाह की सत्य और सही जानकारी प्रदान की है।

अन्य मामले:-

हमने 9 मई, 2018 को निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वित्तीय विवरणों पर संबलपुर में 11 मई, 2018 की एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ("मूल रिपोर्ट") जारी की है। कंपनी अधिनियम, 2013 के 143 (6) (ए) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में हमने संशोधन किया है। इस संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट का कंपनी के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट मूल रिपोर्ट का अधिग्रहण करती है, जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकनों और नीचे दिए गए निम्नलिखित बिंदुओं में किए गए संशोधन पर विचार करने के लिए उचित रूप से संशोधित किया गया है:

- 1) क्र.सं. (एफ) अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट,
- 2) वित्तीय विवरण के रूप में स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज के स्थान पर इंडस्ट्रीज को वित्तीय विवरण के रूप में बदलें
- 3) अनुलग्नक ए के प्वाइंट नंबर i) और iv) के लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए।

मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से उपरोक्त बिंदुओं में संशोधन के लिए प्रतिबंधित है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

(i) भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी यथासंशोधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('दी आर्डर') में यथा वांछित लागू सीमा तक, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) की आवश्यकताओं के अनुसार हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-‘ख’ पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार विवरणी, लेखा

परीक्षा की प्रक्रियानुसार इस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखा और वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुपालन किया गया है।

अधिनियम की धारा 143(3) में यथावांछित सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे मत में कंपनी ने विधि द्वारा वांछित उचित लेखा-बहियां रखी हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी लेखा-बहियों के संगत में हैं।

(घ) हमारे मत में, उपरोक्त वित्तीय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (एकाउंट्स) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

(ङ) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी का कोई भी निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2018 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं है।

(च) हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनीज (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 से संबंधित अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा।

- i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
- ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई भौतिक संभावित नुकसान हुआ था।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने हेतु कोई निधि नहीं थी।

दिनांक-05 जून, 2018

स्थान: संबलपुर

कृते, विजय धनीराम एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

पंजी. सं.- 324629ई

ह/-

सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल

प्रोपराइटर

सदस्य संख्या-060126

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन हेतु अनुलग्नक

(“अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन” के अधिन उसी तारीख पर आपकी रिपोर्ट के अनुभाग के पैराग्राफ में संदर्भित किया जाता है।)

i) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में :

क. कंपनी मात्रात्मक विवरण और निश्चित परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाये रखती है।

ख. उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा निश्चित संपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।

ग. इस तरह के सत्यापन के तहत किसी भी प्रकार की सामग्री विसंगतियां नहीं पायी गई है।

ii) वस्तु सूची के संबंध में:

वर्ष के दौरान कंपनी के पास सामग्री, पुर्जे और अपरिष्कृत सामग्री का कोई भंडार नहीं है।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत सम्मिलित पक्षों का ऋण एवं अग्रिम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत सम्मिलित पक्षों को वर्ष के दौरान कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया है, इसलिए:

(a) लागू नहीं।

(b) लागू नहीं।

(c) लागू नहीं।

iv) ऋण, निवेश, गारंटी और प्रत्याभूति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में कंपनी ने किसी प्रकार के ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है।

v) जनता से जमा धन को स्वीकार करना:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा धन स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए कंपनी पर यह खंड लागू नहीं होता।

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण:

लागू नहीं।

vii) संवैधानिक बकाया के संबंध में: शून्य

viii) बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के भुगतान में गबन:

कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

ix) प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेज़ सहित) के माध्यम से धन उगाही तथा आवधिक ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए ये लिए गए हैं।

कंपनी ने प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेज़ सहित) तथा आवधिक ऋण के द्वारा किसी धन की उगाही नहीं की है, यह खंड लागू नहीं है।

- x) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्ट (प्रकार और राशि):
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त नहीं की गई है।
- xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक:
कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।
- xii) निधि कंपनी से संबन्धित
लागू नहीं।
- xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 व 188 का अनुपालन करते हुए संबंधित पक्षों का लेनदेन:
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ कोई लेन-देन नहीं है।
- xiv) वर्ष के दौरान अधिमान्य आबंटन या शेयरों का निजी स्थापन या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र:
कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी अधिमान्य आबंटन या शेयरों का निजी स्थापन या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र तैयार नहीं किए हैं।
- xv) कंपनी से जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नगद लेन-देन:
कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उससे जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नगद लेन-देन नहीं किया है।
- xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1A के तहत पंजीकरण:
लागू नहीं।

तिथि : 05 जून, 2018
स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी.
(सनदी लेखाकार)
पंजी. संख्या- 324629ई

ह/-
सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल
प्रोपराइटर
सदस्य संख्या-060126

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

कंपनी : महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
: जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020

वित्तीय वर्ष : 2017-18

1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड तथा लीज़ होल्ड हेतु क्लीयर टाइटल/लीज डीड है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीज़होल्ड भूमि के क्षेत्र का विवरण दे, जिसमें टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है ।	लागू नहीं
2.	उधार ऋण/ब्याज इत्यादि को अवैध घोषित करना/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है, यदि हाँ तो इसका कारण एवं संलग्न राशि बतायें ।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षा के वर्ष के दौरान कोई उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि को अवैध घोषित करने का मामला नहीं है ।
3.	क्या ऐसा कोई रिकार्ड रखा जाता है जिसमें थर्ड पार्टी के इनवेंटरी तथा सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति हो	लागू नहीं

तिथि : 05 जून, 2018

स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

पंजीकरण संख्या - 324629ई

ह/-

सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल

प्रोपराइटर

सदस्य संख्या-060126

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

कंपनी : महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
वित्तीय वर्ष : 2017 – 18

1.	समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक मापन किया गया था या नहीं। क्या भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए किसी भी नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी?	लागू नहीं
2.	क्या कंपनी ने क्षेत्र के विलय/ विभाजित/ पुनः संरचना के समय संपत्तियों और परी-संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का आयोजन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया है?	लागू नहीं
3.	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्करो खातों का रखरखाव किया गया है। खाते के निधि के उपयोग की भी जांच करें।	लागू नहीं
4.	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अवैध खनन के लिए जुर्माना का प्रभाव उचित है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है?	लागू नहीं

तिथि : 05 जून, 2018

स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

पंजीकरण संख्या – 324629ई

ह/-

सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल

प्रोपराइटर

सदस्य संख्या-060126

अनुपालन प्रमाण पत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उप-निर्देश के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हमने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की लेखा परीक्षा आयोजित की है तथा यह प्रमाणित किया है कि हमें जारी किये गए निर्देश/उप निर्देश का हमने अनुपालन किया है।

तिथि : 05 जून, 2018

स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

पंजीकरण संख्या - 324629ई

ह/-

सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल

प्रोपराइटर

सदस्य संख्या-060126

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन खाका के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 27.05.2018 एवं संशोधित लेखा प्रतिवेदन दिनांक 05.06.2018 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैंने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजातों के आकलन के बिना और वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है। अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाशित लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा "अन्य मामले" के तहत किए गए संशोधन में हमारी जानकारी के तहत अधिनियम की धारा 143(6) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं

महालेखाकार की ओर से

हस्ता/-

(रीना साहा)

प्रधान निदेशक

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य

लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 13.06.2018

31.03.2018 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ लाख में)

टिप्पणियां	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	9.08	8.56
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	3,351.91	1,410.35
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5		
(घ) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	6		
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ			
(च) निवेश सम्पत्ति			
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7		
(ii) ऋण	8		
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9		
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)			
(झ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	1.38	1.38
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		3,362.37	1,420.29
चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) वस्तुसूची	12		
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7		
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13		
(iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	14	21.13	1.14
(iv) अन्य बैंक बैलेन्स	15		
(v) ऋण	8		
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	6.98	1.70
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)			
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	0.36	0.02
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		28.47	2.86
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		3,390.84	1,423.15

31.03.2018 के अनुसार तुलनपत्र

		(₹ लाख में)	
31.03.2018 के अनुसार तुलनपत्र		31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
इक्विटी एवं देयताएँ	टिप्पणियाँ		
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	5.00	5.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	-1.64	-1.13
		3.36	3.87
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए इक्विटी का एट्रीब्यूट गैर नियंत्रित ब्याज			
कुल इक्विटी (क)		<u>3.36</u>	<u>3.87</u>
देयताएं			
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18		
(ii) भूगतान योग्य व्यापार)			
(iii) अन्य चालू देयताएं	20		
(ख) प्रावधान	21		
(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	22		
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		-	-
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18		
(ii) भूगतान योग्य व्यापार	19	68.45	38.07
(iii) अन्य चालू देयताएं	20	2,218.18	929.54
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	1,097.41	451.67
(ग) प्रावधान	21		
(घ) चालू कर दायिताएँ (निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		<u>3,384.04</u>	<u>1,419.28</u>
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		<u>3,387.40</u>	<u>1,423.15</u>

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

ह/-
(बी पी मिश्र)
वरीय प्रबंधक (वित्त)

ह/-
(वी. वी. के. राजू)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(आर. पाणियाही)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

बिजय धनिराम अँड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं - 324629ई

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक

ह/-
(जे.पी सिंह)
अध्यक्ष

ह/-
(सीए बी. के. अग्रवाल)
प्रोपराइटर
(सदस्य संख्या . 060126)

दिनांक : 11.05.2018
स्थान: संबलपुर

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा का विवरण(समेकित) :

		(₹ लाख में)	
टिप्पणियां	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	
31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा का विवरण(समेकित) :			
			(₹ लाख में)
टिप्पणियां	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	
मुनाफे का श्रेय:			
कंपनी के मालिक	-0.51	-0.48	
अनियंत्रित ब्याज			
कूल व्यापक आय विशेषकर:			
कंपनी के मालिक			
अनियंत्रित ब्याज			
कुल व्यापक आय विशेषकर:			
कंपनी के मालिक	-0.51	-0.48	
अनियंत्रित ब्याज			
(XVII) प्रति ईक्वीटी शेयर अर्जन (अविच्छिन्न संचालन के लिए):			
(1) मूलभूत	-1.02	-0.96	
(2) तरलीकृत	-1.02	-0.96	
(XVIII) प्रति शेयर अर्जन (विच्छिन्न संचालन के लिए):			
(1) मूलभूत			
(2) तरलीकृत			
(XIX) प्रति शेयर अर्जन (विच्छिन्न एवं अविच्छिन्न संचालन के लिए):			
(1) मूलभूत	-1.02	-0.96	
(2) तरलीकृत	-1.02	-0.96	
ह/-	ह/-	ह/-	कृते-बिजय धनिराम एन्ड को.
(बी पी मिश्र)	(वी. वी. के. राजू)	(आर. पाणियाही)	सनदी लेखाकार
वराय प्रबंधक (वित्त)	मुख्य वित्त अधिकारी	मुख्य कायपालक अधिकारी	फम पंजाकरण स - 324629इ
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(के.आर. वासुदेवन)	(जे.पी सिंह)	(सीए बी. के. अग्रवाल)	प्रोपराइटर
निदेशक	अध्यक्ष	प्रोपराइटर	(सदस्य सं. 060126)
दिनांक:			
स्थान: संबलपुर			

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(₹ लाख में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

वर्ष/विवरण	01.04.2016 को बकाया के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2017 को बकाया के अनुसार	01.04.2017 को बकाया के अनुसार	नौ महीने के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2018 को बकाया के अनुसार
50000 इक्विटी शेयर में प्रत्येक ₹10/-	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

ख. अन्य इक्विटी

वरीयता शेयर पूंजी का इक्विटी हिस्सा	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल	गैर नियमित ब्याज	इक्विटी
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सोपरआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व					
01.04.2016 को बकाया के अनुसार वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	-	-	(0.65)	(0.65)		
वर्ष के दौरान समायोजन लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-		
01.04.2016 को पुनः घोषित बकाया के अनुसार	-	-	-	-	-	(0.65)	(0.65)		
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-	-		
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-		
अवधि के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	(0.48)	(0.48)		
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-		
सामान्य रिजर्व में से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-		
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-		
अंतरिम सामांश	-	-	-	-	-	-	-		
कॉर्पोरेट सामांश कर	-	-	-	-	-	-	-		
प्री-ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-		
31.03.2017 को बकाया के अनुसार	-	-	-	-	-	(1.13)	(1.13)		
01.04.2017 को बकाया के अनुसार	-	-	-	-	-	(1.13)	(1.13)		
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-	-		
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-		
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	(0.51)	(0.51)		
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-		
साल के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-		
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-		
सामान्य रिजर्व में से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-		
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-		
अंतरिम सामांश	-	-	-	-	-	-	-		
अंतिम सामांश	-	-	-	-	-	-	-		
कॉर्पोरेट सामांश कर	-	-	-	-	-	-	-		
प्री-ऑपरेटिव व्यय का समायोजन	-	-	-	-	-	-	-		
31.03.2018 के अनुसार बकाया	-	-	-	-	-	(1.64)	(1.64)		

टिप्पणी: 1 कॉर्पोरेट जानकारी

कंपनी का संक्षिप्त विवरण

ओड़िशा राज्य में रेल कोरिडोर को विकसित करने तथा विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन(IRCÓN) इंटरनेशनल लिमिटेड और ओड़िशा औद्योगिक संरचना विकास निगम (आईडीसीओ) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के नाम पर 31 अगस्त, 2015 को 64:26:10 इक्विटी भागीदारी के साथ एक अलग कंपनी बनाने पर भी विचार किया गया। ऐसे उद्यम प्रशासनिक सहयोग से तैयार किए जाते हैं। इस तरह के उपक्रम केन्द्रीय और राज्य सरकार के साथ रेलवे से तकनीकी समर्थन और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) से व्यावसायिक सहायता प्राप्त कर कोल माइंस की चुनौतियों का सामना करने हेतु बनाये जाते हैं। रेल संरचना में निवेश करके और रेल गलियारे से बाहर होने वाले राजस्व से जुड़े व्यापार मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखा जाता है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार ओड़िशा सरकार (GoO) द्वारा प्रदान भूमि का मूल्य आई.डी.सी.ओ. के इक्विटी शेयर के समतुल्य या 10% से अधिक होगा, इनमें से जो भी अधिक हो। यदि ओड़िशा सरकार द्वारा प्रदान किए गए भूमि का मूल्य इक्विटी से 10% ज्यादा हो तब आईडीसीओ एवं एमसीएल की शेयरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व वाले भूमि (राजस्व एवं वन भूमि) ओड़िशा सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं ऐसे भूमि का मूल्य इक्विटी अनुसार समायोजित किया जाएगा। वन संरक्षण के तहत वनीकरण प्रतिपूर्ति लागत, वर्तमान शुद्ध लागत, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सरहदबंदी, वन योजना परिवर्तन प्रस्ताव हेतु कटाई एवं अन्य प्रभार एमसीआरएल द्वारा प्राप्त किये जाएंगे। यह रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले इरकॉन के माध्यम से प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करने और दो चरणों में निर्माण कार्य करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु परिकल्पना की गई है। परिसंपत्तियों के रखरखाव, संचालन एवं रियायत के लिए एम.सी.आर.एल., रेलवे मंत्रालय के साथ समझौता करेगा।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी का आधार

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के सभी समयावधि तक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक के अनुरूप तैयार किया है, जिसे कंपनी नियमावली, 2006 (भूतपूर्व-भारतीय जी.ए.ए.पी) के अनुरूप कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2014 के अनुच्छेद 7 के साथ पढ़ा एवं समझा जाएगा। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी के लिए तैयार पहला

वित्तीय विवरण है। भारतीय लेखांकन मानक की पहली अंगीकरण की जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या-40 देखें।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय उचित वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाए। (अनुच्छेद 2.15 में वित्तीय दस्तावेजों पर लेखांकन नीति देखें)

2.1.1 पूर्ण राशियां -

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक लाख रुपए में दो दशमलव अंको तक उन्हें राउंड किया जाएगा।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ-

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह एक इकाई पर तब तक नियंत्रण करती है, जब तक समूह को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या उन पर अधिकार हो तथा इकाई की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए उन लाभों को प्रभावित करने की क्षमता हो, तब कंपनी को नियंत्रित कर उन्हें स्थानांतरित किया जाता है। उस तारीख से सहायक कंपनियां पूरी तरह से समेकित की जाती हैं और जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से उन्हें हटा दिया जाता है।

समूह द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है। समूह परिसंपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य एवं उसकी सहायक समूहों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। समूह कंपनी के साथ लेन-देन पर अंतर कंपनी लेन-देन के शेष तथा अवास्तविक लाभ को हटा दिया जाता है। समूह कंपनियों के बीच अवास्तविक नुकसान को भी हटा दिया जाता है, जब तक कि स्थानांतरित परिसंपत्तियों के लेन-देन की हानि का सबूत नहीं मिलता है। समूह के सदस्य आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों का लेन-देन तथा ऐसी सामान्य परिस्थितियों में उसका उपयोग करते हैं। सहायक समूहों के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में तथा समूहों के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सहायक समूह के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों, इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं तुलनपत्र को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ -

सहायिकाएँ वे संस्थाएं हैं जिन पर समूहों का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20% से 50% के बीच मतदान का अधिकार रखती है।

सहयोगी कंपनियों में निवेश लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है, प्रारंभ में लागत पर पहचाने जाने के बाद, जब निवेश या इसके एक हिस्से को बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है, तो उस स्थिति में इसे भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

इंटीटी के उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर सहायिकाएँ अपने शुद्ध निवेश को कम करती हैं।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्थाएं-

संयुक्त व्यवस्थाएं वह व्यवस्थाएं हैं जहां समूह का संयुक्त नियंत्रण एक या एक से अधिक अन्य पार्टियों पर रहता है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है, जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.4. संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह को परिसंपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

समूह परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चों और उसके किसी भी संयुक्त रूप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं, जिसमें समूह को शुद्ध परिसंपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

तुलनपत्र में समेकित लागत को उचित मूल्य पर पहचाने जाने के उपरांत संयुक्त उद्यम से ब्याज इक्विटी पद्धति के उपयोग करने हेतु जवाबदेह है।

प्रारंभ में लागत पर पहुंचने के बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जबकि निवेश या उसके किसी हिस्से की बिक्री की जाती है तो उस स्थिति में इसे मान्यता भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार प्राप्त होती है।

इंटीटी के उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम अपने शुद्ध निवेश का हास करती है।

2.2.6 इक्विटी पद्धति -

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त होती है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने तथा समूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए, उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है , जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्त्य भी शामिल हो, तो समूह अधिक नुकसान नहीं तब तक पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

इन इकाईयों में समूह के हित के लिए समूह एवं उनके सहायकों तथा संयुक्त उद्यम के बीच हुए लेनदेन पर अवास्तविक प्राप्तियों को समाप्त किया गया है, जब तक कि लेनदेन से हस्तांतरित परिसंपत्ति से हुई हानि के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक अवास्तविक हानियों को भी हटा दिया जाता है। जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता है।

2.2.7 स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह इक्विटी स्वामित्व के साथ लेन-देन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाता है।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है, तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी कंपनी, संयुक्त उद्यम व वित्तीय परिसंपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगी। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है, जैसे कि समूह में संबंधित परिसंपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों को लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनियों में स्वामित्व हित कम है, परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हो तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर लाभ या हानि में जहां आवश्यक हो, वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में परिसंपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब तक माना जाता है, जब तक कि

- क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित हो कि परिसंपत्ति स्वीकार, बेची या उपभोग की जाये।
- ख. यह प्राथमिक रूप से व्यापार करने के लिए परिसंपत्ति की देयताओं को रखती है।
- ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की पहचान की गई हो।
- घ. परिसंपत्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) जब परिसंपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित करती है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12

माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने हेतु इसका उपयोग करती है तब अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इंटीटी द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

- क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।
 - ख. प्राथमिक रूप से देयताओं के व्यवसाय को बनाए रखना अपेक्षित हो।
 - ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।
 - घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का अधिकार नहीं होगा। देयता की शर्तें, जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इक्विटी को जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।
- अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता-

2.4.1 बिक्री से प्राप्त राजस्व:

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर स्वीकार की जाएगी-

- क. वस्तुओं के स्वामित्व, जोखिम एवं पुरस्कार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की इंटीटी विक्रेता को स्थानांतरित कर दी गई हो।
- ख. वस्तुओं की बिक्री पर इंटीटी का स्वामित्व के संबंध में प्रबंधकीय भागीदारी एवं प्रभावी नियंत्रण नहीं हो।
- ग. राजस्व राशि विश्वसनीय तरीके से मापी गई हो।
- घ. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ सीधे इंटीटी को प्रदान किया गया हो।
- ड. लेन-देन के संबंध में किए गए या खर्च किए जाने की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा गया हो।

सरकार/अन्य वैधानिक निकायों की तरफ से एकत्र किए गए करों, लेवी या शुल्क को छोड़कर अनुबंधित रूप से परिभाषित भुगतान के शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त उचित मूल्य पर राजस्व को मापती है।

हालांकि, भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 18 पर शिक्षात्मक सामग्री के आधार पर कंपनी ने यह मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली कंपनी अपनी जिम्मेदारी पर करेगी। यही कारण है कि चाहे माल बेचे गए हों या नहीं, उत्पादक की देयता, जो उत्पाद लागत का हिस्सा है, जिसे कंपनी की जिम्मेदारी पर उत्पाद शुल्क के बाद सकल राजस्व में उत्पाद शुल्क के रूप में शामिल किया गया है।

हालांकि, कंपनी द्वारा अन्य कर लेवी व शुल्क को प्राप्त नहीं किया गया है तथा उसे शुद्ध राजस्व में भी शामिल नहीं किया गया है।

2.4.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय स्वीकृत की जाती है।

2.4.3 लाभांश

जब भुगतान प्राप्त के अधिकार स्थापित किए जाएंगे तब निवेश से लाभांश आय स्वीकार की जाएगी।

2.4.4 अन्य दावे:

जब वसूली की निश्चितता निश्चित हो तब अन्य दावे (ग्राहकों से देरी से प्राप्त होने पर ब्याज सहित) इसके लिए जवाबदेही होंगे।

2.4.5 सेवाओं का प्रतिपादन:

जब सेवाओं के प्रतिपादन में शामिल लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जाता है तो लेन-देन के पूर्ण होने के संदर्भ में संबंधित राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण हो तों लेन-देन का आकलन विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा-

क. राजस्व राशि विश्वसनीय रूप से मापी जाये।

ख. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़ी आर्थिक लाभ सीधे इंटीटी को जाए।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन पूर्ण होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जाए।

घ. लेने-देन हेतु खर्च लागत तथा लेन-देन को पूरा करने की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जाए।

2.5 सरकार से अनुदान -

सरकारी अनुदान तब तक स्वीकार नहीं किये जाएंगे जब तक कि इस बात का उचित आश्वासन न दिया गया हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और निश्चित अनुदान प्राप्त करेगी।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरणों से व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए कंपनी को संबंधित खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

अनुदान की स्थापना के द्वारा सरकारी अनुदान से संबंधित सहयोग को तुलनपत्र में स्थगित आय के रूप में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान शीर्ष ,अन्य आय के अंतर्गत लाभ व हानि को विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

एक सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों हेतु मुआवजे के रूप में या भविष्य में संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने हेतु उपलब्ध है, जिसमें उस अवधि के लाभ या हानि के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है।

2.6 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलतः परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा वित्त पट्टा से भिन्न पट्टा है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी:

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वे पट्टे जिसे कंपनी के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों में स्थानांतरित किया गया हो, उसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में वित्त पट्टों को शुरुआती समय में पट्टे पर परिसंपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है तो पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है, ताकि शेष राशि की देयता पर स्थाई दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रूप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेन-देन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

परिसंपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं हो तो कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी और परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को परिसंपत्ति क्षीण करेगी।

2.6.1.2 परिचालित पट्टे:

परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर पहचाना जाता है जब तक कि :

- क. अन्य व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ताओं के लाभ के समय के स्वरूप का प्रतिनिधि करता है भले ही कम भुगतानकर्ताओं का भुगतान उस आधार पर ना किया गया हो या,
- ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में उसे संचारित किया जाता है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.6.2 पट्टेदाता के रूप में कंपनी:

परिचालन पट्टे : परिचालन पट्टे (सेवा राशि यथा बीमा पट्टा तथा रख-रखाव को छोड़कर) से पट्टे आय को आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है जो सीधे तौर पर परिपाटी के पट्टे की शर्तों पर आधारित रहती है, जिसमें

- क. अन्य पद्धतिपरक की तुलना में समय प्रणाली अधिक होती है जब पट्टा का भुगतान उस आधार पर नहीं होता है या
- ख. इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित हो। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टे में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा परिसंपत्ति के साथ शेष राशि में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप निष्पादित किया गया हो।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाये राशि को दर्ज किया जाता है जिसमें कंपनी के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्त के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है, जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाये निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रूप में दर्शाया जाता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू परिसंपत्ति

कंपनी गैर चालू परिसंपत्तियों को बिक्री हेतु आयोजित एवं वर्गीकृत करती है। यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो तो विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं के तहत बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना न होने की स्थिति में एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णयों का संकेत होता है। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेन-देन विनिमय गैर चालू परिसंपत्ति से अन्य गैर चालू परिसंपत्ति में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान कंपनी अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो। ऐसी शर्तों के लिए जो परिसंपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है, जिसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और वास्तव में जिसे बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। कंपनी वर्तमान स्थिति में परिसंपत्ति का निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- समुचित प्रबंधन स्तर से निष्पादित कंपनी को बिक्री के लिए यथोचित योजना तैयार करना अपेक्षित हो।
- क्रेता खोज के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा संपूर्ण योजना को निष्पादित करना अपेक्षित हो।
- परिसंपत्ति (निष्पादन कंपनी) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानतः तैयार कर ली जाए तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करनी अपेक्षित होगी ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण(पी.पी.ई.)

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर तय की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुनःस्थापन खर्च तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

संपुष्टि के तारतम्य में अलग परिसंपत्ति के रूप में संयंत्र तथा उपकरण में होने वाले खर्च उस शर्त पर निष्पादित किये जाएंगे, जिसमें समाहित खर्च कम से कम हो तथा लागत मानक के अन्तर्गत किसी भी प्रतिपूरक नुकसान को हानि न पहुंचे। किसी भी परिसंपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है-

- क. व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।
- ख. स्थल तक परिसंपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।
- ग. सामग्री परिवर्धन को हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसको व्यवहार में लाने के लिए कंपनी ने सामग्री को अपने आधिपत्य में रखने हेतु इसे खर्च किया है या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया है, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित होता है। फिर भी कंपनी मूल्यहास शुल्क निर्धारित करने हेतु पी.पी.ई. के समुपयोगी मद के साथ जीवनोपयुक्त तथा मूल्यहास विधि को तय करती है।

दिन-प्रतिदिन इस तरह के कार्य जिसमें मरम्मतीकरण, इसके रख-रखाव तथा लाभ और हानि के विवरण को उसी वर्षावधि के अन्तर्गत दर्शाता जाता है जिनमें उनका व्यय के समतुल्य होना अपेक्षित होता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने पर वे उपकरण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होंगे, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपकरण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी, जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपकरण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेत्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाए, तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ को कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। कोई भी बकाया राशि(भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) जांच के समय में विमुद्रित की जाएगी।

परिसंपत्ति संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे असंबद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे व प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान परिसंपत्ति संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण निम्नलिखित अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

अन्य भूमि

(पट्टेकृत भूमि सहित)	-परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो
भवन	- 3-60 वर्ष
सड़क	- 3-10 वर्ष
दूरसंचार	- 3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	- 15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	- 5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	- 3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	- 3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	- 10 वर्ष
वाहन	- 8-10 वर्ष

परिसंपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल परिसंपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित होते हैं। जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित होती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर महीने के संदर्भ में मूल्यहास के अतिरिक्त/निपटान को प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित, उपयोग के लिए अनुपयुक्त परिसंपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस परिसंपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समाहित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय परिसंपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। परिसंपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इन्वेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक के लिए संक्रमण

कंपनी वर्तमान मूल्य को लागत मानक की कीमत के अनुसार बनाए रखने का प्रयास करती है जिसमें सभी परिसंपत्ति, संयंत्र या उपकरण तथा वित्तीय विवरण एवं हस्तांतरण तिथि से पिछले जीएएपी के अनुसार किया गया निष्पादन सम्मिलित रहता है।

2.9. खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डीकमीशनिंग बाध्यता-

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित होते हैं। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा जोखा तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। खर्च के आकलन मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न परिसंपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा परिसंपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली परिसंपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंदी करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंदी के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है, जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियां -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनों की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;

- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारीक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल हैं।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसंपत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया हो तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय -

जब प्रमाणित भंडार निर्धारित एवं खान/परियोजना विकास स्वीकृत किए जाते हैं तब निर्माण के अंतर्गत पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत निर्माण के तहत परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं तथा शीर्षक ' विकास' के अनुरूप पूंजीकृत कार्य प्रगति के घटक के रूप में दर्शाये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है-

- क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया हो या
- ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या
- ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर “अन्य खनन आधारित संरचना” के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियां -

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियां लागत के प्रारम्भिक स्तर पर मापे जाते हैं। अधिग्रहण की तिथि के अनुसार प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत व्यापार संयोजन में उनके उचित मूल्य है। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजी को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया हो। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती, अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रूप में मापा जाता है, जिसे लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त होती है।

अन्वेषित और मूल्यांकित परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है तथा अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रूप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में हानि का आकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद हो, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जबतक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो, अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के कंपनी से स्वतंत्र होती हैं जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रूप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

2.14 निवेश परिसंपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या माल व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में, विक्रय को निवेश की गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश परिसंपत्ति का आकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेन-देन लागत पर भी लागू किया जाता है।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य हास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.15 वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट -

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ -

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हें व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात् वह तिथि जिसमें कंपनी की परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपत्तियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफवीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय।
(एफ.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं-

- क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना और
- ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया हो।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण साधन:

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफवीटीओसीआई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया हो।
- ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। जैसे कंपनी ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर-पहचान जिसे कि ओसीआई में पहचाना गया है, को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट:

डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में शामिल है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करती हो। ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इंस्ट्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंस्ट्रुमेंट दर इंस्ट्रुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है, जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंस्ट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंस्ट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।

पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रुमेंट को मापा जाता है।

2.15.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया गया हो और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया गया हो या (ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया हो और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा हो, लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया हो।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया, तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किसी हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो परिसंपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही परिसंपत्ति के

सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया है। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित परिसंपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित परिसंपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि परिसंपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे परिसंपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि-

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

- क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणतः ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।
- ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।
- ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।
- घ. लेनदेन के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य या नकद प्राप्ति हेतु अन्य संविदात्मक अधिकार भारतीय लेखांकन मानक 11 एवं 18 के अंतर्गत आते हैं।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण को अपनाया है:-

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेन-देन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इसके प्रारम्भिक पहचान से शुरू होकर जीवन पर्यंत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएलएस) पर आधारित होती है।

2.15 वित्तीय देयताएँ -

2.15.3.1. आरंभिक पहचान तथा माप -

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामलों में तथा विशेषकर लेन-देन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य पर दर्शायी जाती है।

2.15.3.2 आगामी माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर -

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल किए जाते हैं, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया जाता है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध न हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेट डम्बेडेड डेरीवेटिव्स को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया गया हो।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हो। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ-

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तभी वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनःप्रतिस्थापित किया जाता है तो यह मौजूदा देयताओं की शर्तों को संशोधित करता है, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रूप में इसे माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेन-देन राशि

और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं, को पुनःवर्गीकृत करती है। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुनःवर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करते हैं, जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और बाहरी पार्टियों के लिए स्वतः स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश या पुनःवर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुनःवर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुनःवर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं:-

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रूप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनः वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनः जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रूप वर्गीकृत किया गया है।

2.15.5 वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट को पूर्ण करना:

वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो परिसंपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.16 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो परिसंपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि परिसंपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि(वसूली योग्य) चालू कर है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थाई करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देनदारियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए अस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे परिसंपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं

लेन-देन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती हैं अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए अस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त होती है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि परिसंपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने

की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त अस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि अस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

अस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

अस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमशः उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया है। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। पारिभाषित योगदान योजनाओं में बाध्यताओं को कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में इस अवधि के लाभ-हानि विवरणी में मान्यता दी गई है। इस अवधि में कर्मचारियों ने अपनी सेवा प्रदान की है।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी हैं। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं हैं। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्रपर अंकित होते हैं जिनकी गणना बीमांकिक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हो तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः मापा जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरूप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढ़ाये गए लाभों को लाभ व हानि के विवरण में हुये खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, कंपनी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित पारिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेन-देन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधियों का व्यय/समायोजन

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीमा के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (सीएमपीडीआईएल द्वारा तकनीकी रूप से अनुमानित तथा परियोजना प्रतिवेदन में वर्णित) हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (कोयला ओबी) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर प्रावधान चालू /अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है-

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्रा	विचलन की अनुमानित सीमाएं	
	I	II
	%	मात्रा (मिलियन घन-मीटर में)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%	शून्य

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक:

कोल/कोक की वस्तु सूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तु सूची की लागत की गणना प्रथम पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य माल की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर $\pm 5\%$ तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर $\pm 5\%$ से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें ढीलें उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाये गए हैं।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित की जाती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों, रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रेप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता है।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं परिसंपत्तियां -

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाती है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्व के अस्तित्व को केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होती है और ये मान्यता यथोचित होती है।

2.23 प्रति शेयर अर्जन

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी ड्यूलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.24 निर्णय ,आकलन और धारणाएं

इंडस्ट्रीज के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती है और परिसंपत्तियों और देनदारियों पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा करती है और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्घृत किया जाता है। लेखांकन परिणाम समय-समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेन-देन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारीयाँ उद्धृत की है -

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

i. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

ii. आर्थिक लेन-देन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।

iii. तटस्थ है अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त,

iv. मितव्ययी, तथा

v. सभी सामग्रियां पूर्ण रूप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेन-देन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करते हैं, जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं) जहां लेखांकन नीतियों में वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ -

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते हैं कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के कंपनी को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक

कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करती है। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा इंडीटी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है, ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.24.1.3. परिचालन पट्टा -

कंपनी ने पट्टा समझौते को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक परिसंपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई हैं, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित की जाती हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आकलन और धारणाओं के आधार पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास के तहत बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि -

यदि परिसंपत्तियों या नगदी का वहन मूल्य वसूली राशि से अधिक हो तो वे मूल्य उपयोगी होंगे, जो अपने निष्पक्ष मूल्य के निपटान मूल्य के न्यूनतम लागत पर निर्धारित किए जायेंगे और वे हानि को दर्शाएंगे। कंपनी प्रत्येक खानों को अलग-अलग नगद बनाने वाली ईकाइयों के रूप में मानता है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डी.सी.एफ. मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं किया जाता है, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है, ताकि सी.जी.यू. की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डी.सी.एफ. मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सी.जी.यू. के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि अस्थायी कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों

के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी। करों से संबन्धित आगामी विवरण का उल्लेख टिप्पण-38 में किया गया है।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा -

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोतरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलनपत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डी.सी.एफ. मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां -

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट केंद्रीय खनन योजना तथा डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6. खान बंदी, साइट पुनः स्थापना व डीकमीसनिंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुनः स्थापना और डीकमीसनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुनः स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर करती है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।

2.24 संक्षेपों का प्रयोग

CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
OCI	अन्य व्यापक आय (Other Comprehensive Income)
P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
PPE	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 : कैपिटल वैप

(₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन संरचना/ विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
01.04.2016 के अनुसार योग			1,272.19	109.36	20.47	1,402.02
पूजीकरण / विलोपन						8.33
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	1,272.19	117.69	20.47	1,410.35
01.04.2017 के अनुसार योग			1,272.19	117.69	20.47	1,410.35
पूजीकरण / विलोपन			1,729.43	209.11	3.02	1,941.56
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	3,001.62	326.80	23.49	3,351.91
संचित प्रावधान और हानि						
01.04.2016 के अनुसार वर्ष के लिए शल्क हानि						-
पूजीकरण / विलोपन						-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
01.04.2017 के अनुसार वर्ष के लिए शल्क हानि						-
पूजीकरण / विलोपन						-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि						
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	3,001.62	326.80	23.49	3,351.91
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	1,272.19	117.69	20.47	1,410.35

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

अन्वेषण और मूल्यांकन
लागत

सकल वहन राशि:	
01.04.2016 के अनुसार	
परिवर्धन	
विलोपन / समायोजन	
31 मार्च 2017 के अनुसार	-
01.04.2017 के अनुसार	
परिवर्धन	
विलोपन / समायोजन	
31 सितंबर 2018 के अनुसार	-
प्रवाधान और हानि	
01.04.2016 के अनुसार	
वर्ष के लिए शुल्क	
हानि	
पूँजीकरण / विलोपन	
31 मार्च 2017 के अनुसार	-
01.04.2017 के अनुसार	
वर्ष के लिए शुल्क	
हानि	
पूँजीकरण / विलोपन	
31 सितंबर 2018 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
30सितंबर 2018 के अनुसार	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-
01 अप्रैल 2016 के अनुसार	

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 : असंगत परिसंपत्तियाँ

	कंप्यूटर साफ्टवेर	कोल ब्लॉक विक्रय के लिए	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2016 के अनुसार				-
योग				-
विलोपन / समायोजन				-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-		-
01.04.2017 के अनुसार				-
परिवर्धन				-
विलोपन / समायोजन				-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-		-
परिशोधन और हानि				
01.04.2016 के अनुसार				-
वर्ष के लिए श्लक				-
परिवर्धन				-
विलोपन / समायोजन				-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-		-
01.04.2017 के अनुसार				-
वर्ष के लिए श्लक				-
परिवर्धन				-
विलोपन / समायोजन				-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-		-
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-		-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-		-
01.04.2016 के अनुसार				-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹ लाख में)

के अनुसार

31.03.18

31.03.17

गैर चालू

शेयर में निवेश

सहायक कंपनी में इक्विटी शेयर/ संयुक्त उद्यम

अन्य निवेश

सुरक्षित बांड में

7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बांड

8% सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बांड

7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बांड

7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बांड

सहकारी शेयर

कुल :

उद्धृत निवेश की कुल राशि

उद्धृत निवेश की कुल राशि

उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य

मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि

-

-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 (जारी.)

निवेश

चालू	के अनुसार	
	31.03.18	31.03.17 (पुनःघोषित)
व्यापार अनुद्भूत		
म्यूचुअल फंड में निवेश		
यूटीआई मनी मार्केट फंड		
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड		
केनारा रोबेको लिक्विड फंड		
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड		
	-	-
महाराष्ट्र राज विद्युत बोर्ड		
पश्चिम बंगाल राज विद्युत बोर्ड		
	-	-
कुल :	-	-

उद्धृत निवेश का योग
उद्धृत निवेश की कुल राशि
उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य
मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि

वर्गीकरण के लिए नोट 38(1) देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 8 : ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू		
संबंधित पार्टी को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
अन्य ऋण (to be specified in note)		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
कुल		
वर्गीकरण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
चालू		
संबंधित पार्टी को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
अन्य ऋण (to be specified in note)		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
कुल		
वर्गीकरण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर चालू		
बैंक जमा		
बैंक के अंतर्गत जमा		
माइन क्लोजर योजना		
स्थानांतरण और पनर्वास निधि योजना		
माइन क्लोजर का खर्च एस्करो खाते से प्राप्त		
अन्य जमा		
घटाव: संदेहास्पद जमा का भत्ता		
सुरक्षा जमा उपयोगिता	-	-
घटाव: संदेहास्पद जमा का भत्ता		
अन्वेषण कार्य के लिए प्राप्य		
घटाव: संदेहास्पद भत्ता	-	-
अन्य प्राप्य		
घटाव: संदेहास्पद प्राप्य भत्ता	-	-
कुल		
चालू खाते के साथ		
सीआईएल-आईआईसीएम अन्य अनुषांगिक/होलडिंग	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम भत्ता		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अर्जित व्याज		
निवेश		
बैंक जमा	0.05	0.03
अन्य		
अन्य जमा		
घटाव: संदेहास्पद भत्ता		
दावा प्राप्य		
घटाव: संदेहास्पद दावा भत्ता		
अन्य प्राप्य	3.49	1.67
घटाव: संदेहास्पद दावा भत्ता	-	-
कुल	3.54	1.70

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपत्तियाँ

	(₹ लाख)	
	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i) पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
(ii) पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	1.38	1.38
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	1.38	1.38
(ख) अन्य जमा (to be specified in note)		
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
(घ) राजस्व के लिए अग्रिम		
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
(ङ) खर्च पूर्व भूगतान		
(च) अन्य		
कुल	1.38	1.38

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपातियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) पूंजीगत अग्रिम (वस्तुओं और सेवाओं) घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
(ख) सांविधिक बकाया का अग्रिम भूगतान घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.31	0.02
	0.31	0.02
(ग) संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम		
(घ) कर्मचारियों के लिए अग्रिम घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.05	
	0.05	-
	-	-
(ङ) अन्य-अग्रिम घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु दावा	-	-
	-	-
(च) अन्य जमा घटाव : प्रावधान	-	-
	-	-
(छ) केनवैट/ वैट क्रेडिट प्राप्य घटाव: प्रावधान	-	-
	-	-
(ज) मैट क्रेडिट एंटाईटलमेंट घटाव: प्रावधान		
(ञ) खर्च पूर्व भूगतान		
अन्य प्राप्तियाँ घटाव: आयकर प्रावधान	-	-
	-	-
कुल	0.36	0.02

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 12 :वस्तुसूची

(₹ लाख में)

के अनुसार

31.03.18

31.03.17

(क) कोयले का भंडार विकासाधीन कोयला घटाव : प्रावधान कोयले का स्टॉक (निवल)	-	-
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत) जुड़ावो : मार्गस्थ भंडार घटाव:प्रावधान भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)	-	-
(ग) केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक		
(घ) कर्मशाला संबंधी कार्य : कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल घटाव : प्रावधान कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक	-	-
(ङ) प्रेस कार्य: कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी - संयुक्त
टिप्पणी - 13 : व्यापार से प्राप्य

(₹ लाख में)

31.03.2018
के अनुसार

31.03.2017
के अनुसार

चालू

व्यापार से प्राप्य

- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया
- संदेहास्पद

घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ता

कुल

-	-
-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 14 - नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

के अनुसार

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.03.2017</u>
(क) बैंक में नकद		
जमा लेखा में	21.13	1.14
- चालू लेखा में		
- नकद जमा लेखा में		
(ख) भारत के बाहरी बैंक में नकद		
(ग) हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प		
(घ) हाथ में नकद		
(ङ) भारत के बाहर हाथ में नकद		
(च) अन्य		
कुल नकद और नकद समतुल्य	<u>21.13</u>	<u>1.14</u>
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (निवल बैंक ओवरड्राफ्ट)	<u>21.13</u>	<u>1.14</u>

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

	के अनुसार	
	<u>31.03.18</u>	<u>31.03.17</u>
बैंक में शेष		
- जमा लेखा परिपक्वता 3 माह से अधिक		
खदान बंद योजना		
अभुक्त लाभांश लेखा		
- लाभांश लेखा		
कुल	<u>-</u>	<u>-</u>

नोट- बैंकों के साथ शेष राशि को उधार लेने के लिए धन सीमा तथा सुरक्षा के रूप में रखा गया है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

(रु लाख में)

<u>अधिकृत</u>	के अनुसार	
	31.03.2018	31.03.2017
₹10 प्रत्येक का 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
<u>निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त</u>		
₹10 प्रत्येक का 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
	5.00	5.00

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के

शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और उनके नामांकन	32000	64
आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड और उनके नामांकन	13000	26
ओडिशा औद्योगिक संरचना विकास निगम	5000	10

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय		कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूँजीगत रिजर्व		अधिशेष	ईसीएल एवं बीसीएल में संचित घाटा	
01.04.2016 के अनुसार शेष				(0.65)		0.65
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन						-
पूर्व अवधि त्रुटियां						-
01/04/2016 के अनुसार शेष	-	-	-	(0.65)	-	0.65
वर्ष के दौरान वृद्धि						-
वर्ष के दौरान समायोजन						-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय				(0.48)		(0.48)
विनियोग						-
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण						-
अन्य रिजर्व में/से अंतरण						-
अंतरिम लाभांश						-
अंतिम लाभांश						-
कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स						-
31.03.2017 के अनुसार शेष	-	-	-	(1.13)	-	1.13
01.04.2017 के अनुसार शेष				(1.13)		1.13
वर्ष के दौरान वृद्धि						-
वर्ष के दौरान समायोजन						-
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं पूर्व अवधि त्रुटियां						-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय				(0.51)		(0.51)
विनियोग						-
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण						-
अन्य रिजर्व में/से अंतरण						-
अंतरिम लाभांश						-
अंतिम लाभांश						-
कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स						-
बायबैक इक्विटी शेयर						-
बायबैक पर टैक्स						-
31.03.2018 के अनुसार शेष	-	-	-	(1.64)	-	1.64

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: ऋण

(₹ लाख में)

31.03.2018 के 31.03.2017 के
अनुसार अनुसार

गैर-चालू

अवधि ऋण

संबंधित पार्टियों से ऋण

अन्य ऋण (to be specified in note)

कुल

_____ - _____ -

वर्गीकरण

सुरक्षित

असुरक्षित

चालू

मांग पर लौटाने वाले ऋण

-बैंकों से

-अन्य पार्टियों से

संबंधित पार्टियों से ऋण

अन्य ऋण (to be specified in note)

कुल

_____ - _____ -

वर्गीकरण

सुरक्षित

असुरक्षित

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी-समेकित
टिप्पणी - 19 : भुगतान योग्य व्यापार

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
चालू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान		
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
- भंडार और पुर्जों		
- ऊजार एवं ईंधन		
- अन्य खर्च	68.45	38.07
कुल	68.45	38.07

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायिताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर चालू		
सुरक्षा जमा		
अग्रिम राशि		
अन्य		
	-	-
चालू		
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि		
अनुषंगी कंपनियाँ		
एमसीएल के साथ चालू खाते	2,218.18	929.54
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अभुक्त लाभांश		
सुरक्षा जमा		
अग्रिम राशि		
वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए देयता		
अन्य		
कुल	2,218.18	929.54

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ गैरच्युटी छूट्टी नकदीकरण - अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
	-	-
साइट पुनर्स्थापना /खदान बंदी करने वाली गतिविधियों का समायोजन अन्य		
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी हितलाभ गैरच्युटी छूट्टी नकदीकरण अनुग्रह राशि कार्यनिष्पादन से संबंधित भूगतान अन्य कर्मचारी हितलाभ एनसीडबल्यूए - 10 प्रावधान कार्यकारी के वेतन में संशोधन	-	-
साइट रेस्टोरेसन और खदान बंदी कोयला स्टॉक अंतिम पर उत्पाद शुल्क अन्य		
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू दायिताएँ

(₹ लाख में)

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.03.2017</u>	के
	के अनुसार	अनुसार	
स्थानांतरण और पूनवारस निधि			
आस्थगित आय			
कुल	<u>-</u>	<u>-</u>	

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू दायिताएँ

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
पूँजीगत व्यय	1,086.65	450.40
वैधानिक बकाया:		
वस्तुएं एवं सेवा-कर		
जीएसटी मूआवजा उपकर		
स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
विक्रय कर/वैट		
भविष्य निधि और अन्य		
केंद्रीय उत्पाद शुल्क		
रॉयल्टी और कोयला पर उपकर		
स्टोइंग उत्पाद शुल्क		
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट		
जिला खनिज फाउंडेशन		
अन्य वैधानिक लेवी		
आयकर की कटौती / स्रोत पर एकत्र	10.76	1.27
	10.76	1.27
ग्राहकों से अग्रिम / अन्य लाभांश वितरण पर कर अन्य देयताएं		
कुल	1,097.41	451.67

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
कोयले का विक्रय/सेवाएं		
घटाव: अन्य वैधानिक वसूली		
रॉयल्टी		
कोयले पर उपकर		
स्टोइंग उत्पाद शुल्क		
केन्द्रीय बिक्री कर		
स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
राज्य बिक्री कर/वैट		
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट		
जिला खनिज फाउंडेशन		
अन्य वसूली		
कुल वसूली	-	-
बिक्री (निवल) (क)	-	-
ख.अन्य संचालन राजस्व		
कोयला आयात हेतु फेलिसिटेशन चार्ज पर		
बालू भराई और सुरक्षा कार्यों के लिए		
अनुदान		
लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क		
घटाव: अन्य वैधानिक वसूली		
	-	-
अन्य संचालन राजस्व (निवल) (ख)	-	-
संचालन से राजस्व(क+ख)	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी 25 :अन्य आय

(₹ लाख में)

31.03.2018 31.03.2017
के अनुसार के अनुसार

ब्याज आय

बैंक में जमा निवेश ऋण समूह के अंदर फंड पाकड अन्य	0.11	0.19
--	------	------

लाभांश आय

सहायक कंपनियों में निवेश
म्यूचुअल फंड में निवेश
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (8.5% कर मुक्त विशेष बोनड्स)

सहायक कंपनियों द्वारा शेयरों की बायबैक पर आय

अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय

अपैक्स शुल्क
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ
विनिमय दर भिन्नता
पट्टा किराया
देयता / प्रावधान का प्रतिलेखन
स्टॉक में कमी पर एक्साइज इयूटी
विविध आय

कुल

0.11 0.19

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 26 :सामग्री की लागत में खपत

	(₹ लाख)	
	31.03.18	31.03.17
बिस्फोटक		
लकड़ी		
तेल एवं लुब्रिकेंट		
एचईएमएम के पुर्जे		
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे		
कुल	-	-

टिप्पणी 27 : तैयार माल कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

	31.03.18	31.03.17
प्रारंभिक कोयला स्टॉक		
योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन		
घटाव : कोयले का क्षरण	-	-
कोयले का अंतिम स्टॉक		
घटाव : कोयले का क्षरण	-	-
क कोयले की सूची में परिवर्तन	-	-
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक		
योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन		
घटाव: प्रावधान	-	-
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक		
घटाव: प्रावधान	-	-
ख कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
प्रेस प्रारंभिक कार्य		
i) तैयार माल		
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
घटाव: प्रेस समाप्ति कार्य		
i) तैयार माल		
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
ग प्रेस जॉब की समाप्ति स्टॉक की वस्तु सूची में परिवर्तन	-	-
व्यापार में स्टॉक की वस्तु सूची में बदलाव (क +ख + ग) {घटा // (अधिग्रहण)}	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 28 :कर्मचारी हित लाभ

	(₹ लाख)	
	31.03.18	31.03.17
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस इत्यादि		
अनुग्रह राशि		
पीआरपी		
पीएफ और अन्य फंड का योगदान		
उपदान		
छुट्टी नकदीकरण		
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति		
कामगार क्षतिपूर्ति		
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा		
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय		
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान		
खेल व मनोरंजन		
कैंटीन व क्रेच		
विद्युत - टाउनशिप		
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार		
अन्य कर्मचारी लाभ		

* संदर्भ नोट 21

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 29 :सीएसआर व्यय

(₹ लाख)

31.03.18

31.03.17

सीएसआर व्यय

कुल

-

-

टिप्पणी 30 : मरम्मत

31.03.18

31.03.17

बिल्डिंग
संयंत्र एवं मशीनरी
अन्य

कुल

-

-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 :संविदात्मक व्यय

	(₹ लाख)	
	31.03.18	31.03.17
परिवहन शुल्क:		
- बालू		
- कोयला		
- भंडार एवं अन्य		
वैगन लदाई		
संयंत्र एवं उपकरणों को भाड़े पर लेना		
अन्य संविदात्मक कार्य		
कुल	-	-

टिप्पणी 32 :वित्तीय लागत

	31.03.18	31.03.17
ब्याज पर व्यय		
उधारी		
छूट को जारी रखना		
समूह के अंदर फंड पक		
अन्य		
	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (निवल रिवर्सल)

(₹ लाख)

	31.03.18	31.03.17
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे		
भंडार एवं पुर्जे		
अन्य		
कुल(क)	-	-
(ख) प्रावधान रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे		
भंडार एवं पुर्जे		
अन्य		
कुल(ख)	-	-
कुल (क-ख)	-	-

टिप्पणी 34 : बड़े खाते डालना (गत प्रावधानों का निवल)

	31.03.18	31.03.17
संदिग्ध ऋण		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
संदिग्ध अग्रिम		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
कोयले का स्टाक		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
अन्य (स्थिर परिसंपत्तियाँ बड़े खाते में		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ लाख)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरलू		
- त्वदशा		
प्राशक्षण व्यय		
दूरभाष एव डाक खच		
त्वजापन एव प्रचार-प्रसार		
भाड़ा प्रभार		
डमरज		
दान /आभदान		
सुरक्षा व्यय		
साआइएल का सवा प्रभार		
भाड़ा प्रभार		
साएमपाडाआइ व्यय		
त्वाधक व्यय		
बक प्रभार	0.01	0.01
गस्ट हाऊस व्यय		
परामश प्रभार		
अडरलाडग प्रभार		
त्वक्रय/डस्काड/सवआफ पारसपात्तया पर हान		
लखा पराक्षका का मानदय एव व्यय		
- लखा पराक्षा फास	0.40	0.46
- कर सबधा मामल		
- अन्य सवाआ क लए		
-व्यय का प्रातपूत	0.21	0.20
आतारक लखा पराक्षा फास पर व्यय		
पुनवास प्रभार		
रायल्टा एव सस		
केंद्रीय उत्पाद शूल्क		
जीएसटी		
कराया		
दर एव कर		
बामा		
त्वदशा मुद्रा त्वानमय पर		
त्वानयम दर म अतर स हान		
पट्टा कराया		
बचाव/सुरक्षा हतु व्यय		
डड रन्ट/सरफस रन्ट		
साड़ाडग अनुरक्षण प्रभार		
भूम/फसल क्षातपूत		
आर एड डा व्यय		
पयावरण आर वृक्षारापण व्यय		
शयरा क बाय बक पर व्यय		
त्ववध व्यय		
कुल	0.62	0.67

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

	(₹ लाख)	
	<u>31.03.18</u>	<u>31.03.17</u>
चालू वर्ष आस्थगित कर एमएटी क्रेडिट इनटाइटलमेंट पिछले वर्षों में		
कुल	<u>-</u>	<u>-</u>

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य वृहद आय

(₹ लाख में)

31.03.18

31.03.17

(क) (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें

पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन
परिभाषित लाभ योजनाओं का रीमेजरमेंट
ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण
एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय देनदारियों के स्वयं के क्रेडिट
जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर

- -

(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए
पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा

पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन
परिभाषित लाभ योजनाओं का रीमेसिमेटेशन
ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण
एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय देनदारियों के स्वयं के क्रेडिट
जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा

- -

कुल(क)

- -

(ख) (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किए जानेवाले मदें

किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में
विनिमय अंतर
ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन
नकदों प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का
प्रभावी भाग
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर

- -

(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए
पुनः परिष्कृत किया जाएगा

किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में
विनिमय अंतर
ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन
नकदों प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का
प्रभावी भाग
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर

- -

कुल (ख)

- -

कुल (क+ख)

- -

नोट-38: 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य मापन

क.वर्ग के अनुसार वित्तीय साधन

	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	एफ.वी.टी.पी. एल.	एफ.वी.टी.ओ.सी. आई.	परिशोधित लागत	एफ.वी.टी. पी.एल.	एफ.वी.टी. ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
सुरक्षित बॉन्ड						
अनुषंगी कंपनी में अधिमानि शेयर						
म्यूचुअल फंड						
ऋण						
जमा एवं प्राप्त्य			3.54			1.70
व्यापार प्राप्त्य						
नगद एवं नगद समतुल्य			21.13			1.14
अन्य बैंक शेष						
वित्तीय देयताएं						
उधार						
व्यापार देय			68.45			38.07
प्रतिभूति जमा एवं बयाना						
अन्य देयताएं			2218.18			929.54

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता को दर्शाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में दर्शाया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं को मापा गया-आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश						
म्यूचुअल फंड						
वित्तीय देयताएँ						
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख दिनांक 31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर किया गया।	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय संपत्तियाँ						
निवेश						
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर						
म्यूचुअल फंड						
वित्तीय देयताएँ						
अधिमानी शेयर						
उधार राशियाँ						
व्यापार देनदारियाँ			68.45			38.07
सुरक्षा जमा तथा अर्जित राशि						
अन्य देयताएँ			2218.18			929.54

कंपनी वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों को उपयोग में लाती है, जो कि उचित मूल्य पर पहचाने और मापे जाते हैं। निष्पक्ष मूल्य निर्धारित करने हेतु उपयोग किये गए इनपुटों की विश्वासनीयता के संबंध में कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानकों के तहत तीन निर्धारित स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या नीचे दी गई है:-

स्तर 1: स्तर 1 में पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित होता है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकड़ों के उपयोग को अधिक बढ़ाते हैं एवं जो इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। उचित मूल्य के लिए जरूरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रूप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर में उसे शामिल नहीं किया जाएगा।

असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियाँ, अधिमान्य शेयरों, उधार, प्रतिभूति जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग :

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजारों में उपकरणों के उद्धृत कीमत भी शामिल हैं।

घ. महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष निविष्टियाँ का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन।

वर्तमान में कोई भी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष निविष्टियों का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

इ. वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

➤ व्यापार प्राप्तियों की कैरिंग राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समतुल्य तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान उनके देय अल्पावधि प्रकृति में विचार किया गया है।

➤ कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त धारणा को निर्धारित करने हेतु है एक पद्धति का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समतुल्य शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा नगदी जोखिम को उजागर करती है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के सरकारी ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम के अनुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

समूह बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा नगदी जोखिम को उजागर करती है। यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों की जानकारी देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई. दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट लिमिट एवं अन्य प्रतिभूति का विविधिकरण
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन की उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं INR में नामित नहीं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नगद एवं नगद समतुल्य, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डी.पी.ई. के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में प्रदान करती है।

क) **क्रेडिट जोखिम** - क्रेडिट जोखिम, नगद एवं नगदी समतुल्य, परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन - वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध- एन.सी.डी.पी. के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहक या अंतिम ग्राहक के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफ.एस.ए. में प्रवेश करवाते हैं। हमारे एफ.एस.ए. को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है-

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पी.पी.यू.एस.) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) ग्राहकों के साथ (एफ.एस.ए.)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपटिव पावर प्लांट सहित (सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसए।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना - जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणतः एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरूप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो दीघावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा एमओसी द्वारा समय-समय पर की जाती है।

क) **नगदी जोखिम** -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरूप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

i. **वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता**

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक समूह में विश्लेषित करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक छूटरहित नगद प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की स्थिति में बारह महीनों के भीतर शेष राशि को उनके बकाया संतुलन के बराबर समझा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक-31.03.18	3 माह से कम	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 से 5 वर्ष	कुल
उधार						
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	68.45					68.45
अन्य वित्तीय देयदताएं	2218.18					2218.18
कुल	2286.63					2286.63

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक-31.03.2017	3 माह से कम	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 से 5 वर्ष	कुल
उधार						
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	38.07					38.07
अन्य वित्तीय देयदताएं	929.54					929.54
कुल	967.61					967.61

ख. बाजार जोखिम

अ. विदेशी मुद्रा जोखिम :

समूह, विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम को उजागर करती है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनियम जोखिम नगण्य माना जायेगा है। नियमित अनुवर्ती द्वारा समूह आयातों एवं जोखिमों को व्यवस्थित भी करता है। जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होती है, तब कंपनी के पास एक नीति है जिसे वह कार्यान्वित करता है।

आ. नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर में बदलाव के साथ कंपनी के मुख्य ब्याज दर बैंक जमा जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होता है, जो कंपनी के नगदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम को दर्शाता है। कंपनी नीति अपने अधिकतर जमा को तय दर पर रखती है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

i) भविष्य निधि :

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लाभ व हानि के विवरण (टिप्पणी-28) में किये गए निधि (.....लाख रुपए) का योगदान स्वीकार किया गया है।

4. अपरिचित मद

क) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (ब्याज सहित, जहां पर लागू हो)

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया			
		31.03.2018	31.03.2017
1	केंद्रीय सरकार क. रायल्टी(एनएमईटी) ख. केंद्रीय उत्पाद शुल्क ग. स्वच्छ ऊर्जा उपकर घ. विलंब शुल्क ड. अनुलाभ कर च. रेलवे पुनःस्थापन कर छ. सेवा कर ज. आय कर i. अन्य मद ((डिस्कलोज द नेचर)		
2	राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारियों क. विक्रय कर ख. स्टॉम्प शुल्क ग. रायल्टी घ. जल कर ड. प्रवेश कर/ओईटी च. भूमि विवाद छ. सतह का किराया ज. अन्य मद (डिस्कलोज द नेचर)		
3	केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क. मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा ख. अन्य मद (डिस्कलोज द नेचर)		

4	अन्य क. पुनर्वास एवं पुनःस्थापना शुल्क ख. क्षतिपूर्ति ग. कोयला परिवहन घ. मध्यस्थता एवं सिविल मुकदमा ड. कंपनी के खिलाफ अन्य मुकदमा च. अन्य मद (डिस्कलोज द नेचर)		
	कुल		

ख. प्रतिबद्धता

बचे हुए संविदा के आकलित राशि को पूंजीगत खाता में निष्पादन हेतु समावेश किया जाये और जिसे उपलब्ध न कराया गया हो।

अन्य : (राजस्व प्रतिबद्धता)

ग. शाख पत्र :

दिनांक 31.03.2018 तक बकाया शाख पत्र (31.03.2017 के अनुसार लाख) लाख रुपए हैं। रुपए एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत..... लाख रुपए (31.03.2017 के अनुसारलाख रुपए)।

5. अन्य जानकारी

क. सरकारी सहायता :

31.03.2018 को समाप्त तिमाही के दौरान एनईसी द्वारा सैण्ड स्टोइंग एवं संरक्षणात्मक कार्य के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के संदर्भ में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से रु.....का छूट प्राप्त की गई है।

सी.सी.डी.ए. अनुदान.....रु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सड़क और रेल बुनियादी ढांचे के काम की सहायता के लिए पूंजी अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया और नोट-22 के तहत स्थगित आय के रूप में खुलासा किया गया।

ख. प्रावधान

कर्मचारी हितलाभ को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति तथा प्रवृत्ति जिसे दिनांक 31.03.2018 तक वास्तविक रूप से मूल्यांकित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

प्रावधान	1.04.2017 के अनुसार प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान बढ़ोत्तरी	अवधि के दौरान राइट बैक/समायोजन	अनवाईडिंग छूट	31.03.2018 के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संचित मुल्यहास संपत्तियों की हानि	0.08	1.12			1.20
नोट 4: पूंजीगत कार्य में प्रगति : सीडब्ल्यूआईपी के रूप में हानि					
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेशण एवं मूल्यांकन प्रावधान हानि					
नोट 6:- विक्रय के लिए गैर चालू संपत्तियां प्रावधान: हानि					
नोट 8: ऋण : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान :					
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : प्राप्य दावे: अन्य प्राप्य :					
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां:					

संदिग्ध अग्रिम : अंशित ड्रिलिंग कार्य उपयोगिता हेतु सुरक्षा जमा अन्य जमा					
नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम: सांविधिक देय राशि के लिए अग्रिम भुगतान बकाया: अन्य जमा : कर्मचारियों को अग्रिम:					
नोट 12: सूची: कोयला भंडार : भंडारों एवं पूर्णों का भंडार इब्ल्यूआईपी एवं निर्मित माल					
नोट 13:व्यापार प्राप्य : अनुपयुक्त एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान					
नोट 20: चालू एवं गैर चालू प्रावधान प्रदर्शन संबंधित देय : एनसीडबल्यूए -X: खदान बंदी : अन्य :					

ग. रिपोर्टिंग खंड

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है, ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी, मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य यह एक एकल रिपोर्ट का ही भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है

	भारत	अन्य देश
राजस्व		

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	राशि (लाख में)	देश
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो		
अन्य		

स्थान के द्वारा कुल चालू परिसंपत्ति निम्नानुसार हैं-

	भारत	अन्य देश
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति		

घ. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टि लेनदेन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते संबन्धित पार्टि लेनदेन एवं उत्कृष्ट शेष के संबंध में सरकारी नियंत्रण के साथ सामान्य प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में छूट देती है।

कंपनी ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो अपेक्स शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, आई.आई.सी.एम. शुल्क एवं चालू खाता द्वारा अन्य अनुषंगियों के पक्ष में किये गए अन्य व्यय के साथ लेनदेन में प्रवेश करते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेनदेन राशि एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

(लाख रुपये में)

कंपनी का नाम	कंपनी के साथ संबंध	वर्ष के दौरान लेनदेन राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	कंपनी में 64% शेयर	102.19
इरकॉन (IRCON) इंटरनेशनल लिमिटेड	कंपनी में 26% शेयर	3001.62
ओड़िशा औद्योगिक संरचना विकास निगम	कंपनी में 10% शेयर	

इ. बीमा और वृद्धि दावा

बीमा और वृद्धि दावे के लेखा-जोखा का प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

च. लेखा के लिए बनाये गए प्रावधान

धीमी प्रयुक्त/स्थिर/अप्रचलित भंडार गृह, दावा, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण के लिए लेखा में प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके।

छ. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ज. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ आकलित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

झ. शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं मिलान, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्टि शेष के लिए प्रावधान किये जाते हैं।

ञ. सी.आई.एफ. के आधार पर आयात मूल्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त अवधि	31.12.2016 को समाप्त अवधि	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(i) कच्चा माल			
(ii) पूंजीगत माल			
(iii) भंडार, पुर्जा एवं उपकरण			

ट. विदेशी मुद्रा के लिए किए गए खर्च

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त अवधि	31.12.2016 को समाप्त अवधि	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय			
प्रशिक्षण व्यय			
परामर्श शुल्क			
ब्याज			
भंडार एवं पुर्जे			
पूँजीगत माल			
अन्य			

ठ. विदेशी विनिमय में अर्जन

विवरण	31.03.2018 को समाप्त अवधि	31.12.2016 को समाप्त अवधि	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय			
प्रशिक्षण व्यय			
परामर्श शुल्क			

ड. भंडार एवं पुर्जों का कुल खपत

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त अवधि		31.12.2016 को समाप्त अवधि		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामग्री						
(ii) स्वदेशी						

ढ. कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण

(लाख रूपये एवं एमटी में परिमाण)

	31.03.2018 को समाप्त तिमाही		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक				
उत्पाद				
बिक्री				
स्व खपत				
बड़े खाते में डालना				
क्लोजिंग स्टॉक				

ण. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत अंतर्निहित दिये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है।

दिनांक-31.03.2017 के अनुसार ऋण के संबंध में कंपनी द्वारा निगमित प्रतिभूति प्रदान की गई ।

(लाख रूपये में)

कंपनी का नाम	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार

त. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-

भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय(एमसीए) द्वारा या अधिसूचित कंपनी द्वारा ग्रहित लेखांकन नीति (नोट-38) में संशोधन किया गया है, जिसके कारण पिछले वर्ष महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उचित रूप से सुधार व उसे पुनः प्रारूपित किया गया था।

लेखा नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप तथा अन्य बदलाव के अंतर्गत शुद्ध लाभ के साथ भारतीय लेखांकन मानक निम्नानुसार वर्णित किये गए हैं।

थ. अन्य : -

i) पिछले अवधि के आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार दोहराया गया है और आवश्यकतानुसार पुनः एकत्र और पुनः व्यवस्थित भी किया गया है।

ii) 31 मार्च, 2018 के लिए नोट 3 से 23 तक उस तिथि के तुलनपत्र तथा नोट-24 से 37 तक उस तिथि को समाप्त तिमाही के लाभ-हानि के विवरण का हिस्सा है। नोट-2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा नोट 38 वित्तीय विवरण के अतिरिक्त नोट को प्रदर्शित करता है।

ह/-
(बी.पी. मिश्रा)
वरीय प्रबन्धक (वित्त)

ह/-
(वी.वी.के. राजू)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(आर. पाणिग्रही)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृते बिजय धनिराम एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या-324629E

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक
(सदस्य संख्या-060126)

ह/-
(जे.पी. सिंह)
अध्यक्ष

ह/-
(सी.ए. बी.के. अग्रवाल)
प्रोपराइटर

दिनांक-11.05.2018

स्थान-संबलपुर

नगद प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ लाख)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
परिचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह		
कर से पहले कुल व्यापक आय	(0.51)	(0.48)
समायोजन के लिए:		
मूल्यहास / अचल संपत्तियों की हानि		
बैंक जमा से प्राप्त ब्याज		
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित वित्त लागत		
ब्याज /निवेश से लाभ/हानि		
संपातियों की बिक्री पर लाभ/हानि		
प्रावधान एवं अवधि के दौरान बढ़े खाते में डालना		
अवधि के दौरान देयता का प्रतिलेखन		
अग्रिम स्ट्रिपिंग गतिविधियों का समायोजन		
चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों और देनदरियों से पूर्व परिचालन लाभ ।	(0.51)	(0.48)
समायोजन के लिए:		
व्यापार स्वीकार्य		
वस्तुसूची		
लघु/दीर्घ अवधि ऋण/ अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(2.18)	196.92
लघु/दीर्घ अवधि देयताएँ एवं प्रावधान	1,964.76	1,210.29
प्रचालन से नगद प्राप्ति	1,962.58	1,407.21
आय कर का भुगतान / वापसी		
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	(क) 1,962.07	1,406.73
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(1,942.08)	(1,410.58)
बैंक जमा में निवेश		
निवेश में बदलाव		
संयुक्त उद्यम में निवेश		
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		
निवेश से ब्याज/लाभ/हानि		
निवेश गतिविधियों से निवल नगद	(ख) (1,942.08)	(1,410.58)
वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
शेयर पूंजी का मुद्दा		
उधार का पुनः भुगतान		
लघु अवधि उधार		
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		
स्थानांतरण और पुनर्वांश निधि की प्राप्ति		
लाभ/हानि और लाभ/हानि कर		
इक्विटी शेयर पूंजी का पुनः क्रय		
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	(ग) -	-
नगद एवं बैंक शेष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	19.99	(3.85)
नगद और बैंक शेष (प्रारंभिक शेष)	1.14	4.99
नगद और बैंक शेष (अंतिम शेष)	21.13	1.14
(कोष्ठक के सभी आंकड़े आउटफ्लो को दर्शाते हैं)		
ह/- (बी पी मिश्र) वरीय प्रबंधक (वित्त)	ह/- (वी. वी. के. राजू) मुख्य वित्त अधिकारी	ह/- (आर. पाणिग्राही) मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ह/- (के.आर. वासुदेवन) निदेशक	ह/- (जे.पी. सिंह) अध्यक्ष	कृते- विजय धनिराम एन्ड को. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं - 324629ई
दिनांक: 11.05.2018 स्थान: संबलपुर		ह/- (सीए बी.के. अग्रवाल) प्रोपराइटर (सदस्य संख्या 060126)